

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/6783 /

जबलपुर, दिनांक 4 / 11 / 2025

दो-14-126 / 25

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-6-1/2018/नियम/चार भोपाल, दिनांक 08 मार्च 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार श्री सतीश कुमार ठाकुर, सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को सेवानिवृत्ति दिनांक 30.09.2025 पर पात्रता अनुसार 247 दिवस के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान किए जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्र. C/6784 /

जबलपुर, दिनांक 4 / 11 / 2025

दो-13-126 / 25

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार (प्रशा.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
3. ए.ओ. (जे) स्थापना/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. सहायक वेतन पत्रक/अवकाश/सेवापुस्तिका/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. श्री सतीश कुमार ठाकुर, सेवानिवृत्त सीनियर जूडिशियल असिस्टेंट, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(हर्ष सिंह बहरावत)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)